

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 781

दिनांक:- 05/8/16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचारण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 KV D/C ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु अधिसूचित 4.052 हे० एवं जंगल-झाड़ 0.64 हे० कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का पत्रांक 1711 दिनांक- 22.07.2016.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव online तथा hard copy की छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदित किया गया है:-

1. प्रस्ताव में कुल 4.672 हे० अन्तर्ग्रस्त वनभूमि की वैधानिक स्थिति 4.052 हे० अधिसूचित वनभूमि तथा 0.64 हे० जंगल-झाड़ है। इसका वनस्पति घनत्व 0.05 से 0.1 है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Part I Form A में आवेदन तथा अभियुक्ति दर्ज है।
3. प्रस्ताव के साथ Part II, III एवं IIIA में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी सरायकेला वन प्रमंडल, वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन जमशेदपुर का अभियुक्ति सहित मंतव्य दर्ज है।
4. प्रस्ताव के Part II में वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने की सूचना दी गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, सरायकेला का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु० - XX
5. Part IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है।
6. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप रेखांकन के साथ संलग्न है।
7. 1:50,000 के स्केल में टोपोशीट पर प्रस्तावित मार्ग का रेखांकन कर मैप संलग्न है।
8. प्रस्तावित वनभूमि की विवरणी मौजावार/प्लॉटवार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
9. प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :-

220 KV D/C Ramchandrapur-Chaibasa Transmission Line										
Mauza wise breakup of Forest Land										
SL	AP - AP	Mouza	Thana No	Name of Thana	Plot no.	Nature/ Kisham	Khatian No	Requirement of Area		
								Decimal	Acre	Hectares
1	1A-2	Ramchandrapur	452	Seraikela	87	P.F.	50	14.8	0.148	0.060
2	5-6	Bara hariharpur	76	Seraikela	245	P.F.	51	112.7	1.127	0.456
3	5-6	Bara hariharpur	76	Seraikela	250	P.F.	51	6	0.060	0.020
4	5-6	Bara hariharpur	76	Seraikela	256	P.F.	51	45.5	0.455	0.184
5	7-8	Birarajpur	457	Seraikela	17	P.F.	5	260	2.600	1.052
6	8-9	Barkatanr	74	Seraikela	2	P.F.	84	385.4	3.854	1.560
7	11-12	pratappur	113	Seraikela	2	P.F.	45	177.9	1.779	0.720
Total Requirement of Forest Land								1002.300	10.023	4.052

220 KV D/C Ramchandrapur-Chaibasa Transmission Line										
List of Jungle-Jhad land (Deemed Forest) in Gamhariya Block										
SL	AP-AP	Mauza	Thana No.	Name of Thana	Plot no.	Nature of land	Khatian no.	Area of Land		
								Decimal	In Acre	In Hec
1	9-10	Barkatanr	74	Seraikela	30	Jungle-Jhadi	85	72	0.72	0.29
2	9-10	Barkatanr	74	Seraikela	31	Jungle-Jhadi	85	59	0.59	0.24
3	9-10	Barkatanr	74	Seraikela	181	Jungle-Jhadi	86	22	0.22	0.09
Total Jungle-Jhadi								153	1.53	0.62

10. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु0 - X

11. इस परियोजना में प्रयुक्त 0.62 हे0 जंगल-झाड़ वनभूमि उपयोग के विरुद्ध 4.52 एकड़ अर्थात 1.829 हे0 उपायुक्त सरायकेला का पत्रांक- 213 दिनांक- 21.02.15 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

12. FRA 2006 के तहत उपायुक्त सरायकेला खरसावाँ का पत्रांक 455 दिनांक 9.05.15 द्वारा इस परियोजना में प्रयुक्त 4.672 हे0 वनभूमि के विरुद्ध (20.0746 एकड़) 8.127 हे0 का निर्गत दावारहित प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होनेवाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है कुल 49 वृक्षों की पातन सम्भावित है। प्रभावित होने वाली वृक्षों की गोलाईवार abstract निम्नवत् है :-

ABSTRACT OF TREE ENUMERATION REPORT
220 KV D/C Ramchandrapur-Chaibasa Transmission line

Sl. No.	RFO	Name of Mouza & Thana No.	Plot no.	Area in Ha.	Nature of forest	Girth in Cm.					Total
						0-25	26-50	51-75	76-100	101 & Above	
1	Saraikela	Pratappur-113	2	0.72	P.F.	0	5	12	12	10	39
2		Ramchandrapur-452	87	0.06	P.F.	NIL					
3		Birarajpur-457	17	1.052	P.F.	NIL					
4		Bara hariharpur-76	245/250/256	0.66	P.F.	NIL					
5		Barkatanr-74	2	1.56	P.F.	0	2	3	0	5	10
6		Barkatanr-74	30/31/181	0.62	J.J.	NIL					
Total no of tree in Saraikela range						0	7	15	12	15	49

14. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन के दो गुणे 9.344 हे० के विरुद्ध 9.42 हे० का चयन किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अपयोजन प्रस्तावित वनभूमि	मौजा	थाना/ नं०	प्लॉट नं०	रकबा हे० में
1	सरायकेला	4.627	सहिबगंज	सरायकेला	1, 2	9.42
			इटाकुदर	सरायकेला	465,508,559,560,581	

प्रस्ताव के साथ CA हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का नकशा 10 वर्षीय प्राक्कलन एवं योजना संलग्न है। अनु० - XVII

15. प्रस्तावित वनभूमि का Georeference digital plan shape file में प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु० - XIV

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं CA की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु० - VIII & IX

17. जिले से मूलभूत सूचनाएँ प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु० - XXI

18. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी प्रकार की violation की सूचना नहीं है।

19. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी का विस्थापन होने की सूचना नहीं है।

20. प्रस्तावित वन भूमि किसी नेशनल पार्क, वन्य प्राणी आश्रयणी, वायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय स्मारक का हिस्सा नहीं है। परन्तु सम्पूर्ण सिंहभूम रीजन गज आरक्ष्य क्षेत्र में पड़ता है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से मंतव्य प्राप्ति हेतु पत्र लिखा जा रहा है प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायेगा।

21. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.14 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही Time line इस पत्र के साथ संलग्न है।

22. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव की वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत है। कुल 4.672 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु Stage-I की स्वीकृति हेतु लोकहित में अनुशंसा की जाती है।

प्रस्तावित वन भूमि सरायकेला खरसावां जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No.- 11-9/98-FC दिनांक 10.12.12 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के तहत यह जिला L.W.E के रूप में संसूचित है। अतः इस परियोजना को राज्य सरकार के स्तर से ही स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति प्रदत्त है।

अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु 4.672 हे० वनभूमि का प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु० यथोक्त ।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

K.D.N.

5.8.16

कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।
(वन भवन, सी0एच0 एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो0-सोनारी, जमशेदपुर-831011)
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, फैक्स-0657-2220153, ई-मेल- apccf.jsr@gmail.com

पत्रांक 1711 / जमशेदपुर -11, दिनांक 22-7-16 जहाँ है दफ्तरी ।
वहाँ है अस्थायी ।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
—सह—

कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची

विषय:

सरायकेला वन प्रमंडल अन्तर्गत सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा तक 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 4.672 हे0 वनभूमि प्रयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 1450 दिनांक 12.7.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा रामचन्द्रपुर से चाईबासा 220 के0वी0 डी0/सी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त है।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि मौजा-रामचन्द्रपुर, बड़ाहरिहरपुर, विराजपुर एवं प्रतापपुर अंतर्गत कुल 4.052 हे0 सुरक्षित वन तथा मौजा-बडकाटौंड अंतर्गत 0.62 हे0 जंगल-झाड वनभूमि (गैर गंजरुआ) कुल 4.672 हे0 वनभूमि सम्मिलित है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित प्रस्ताव की सात प्रतियाँ निम्नलिखित अभिलेखों के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र-I में परियोजना से संबंधित सूचना अंकित की गयी है।
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल द्वारा निर्धारित प्रपत्र-II में परियोजना से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए अनुशंसा की गई है। उक्त विवरणी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर, दिया गया है। तत्संबंधित Timeline details प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के द्वारा प्रपत्र-III में वांछित सूचना एवं अपना मतव्य अंकित किया गया है, जिसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तत्संबंधित Timeline details प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. प्रपत्र भाग - III 'A' में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा वांछित सूचना एवं मतव्य अंकित किया गया है।
5. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का मौजावार विवरणी प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - I के रूप में संलग्न है।

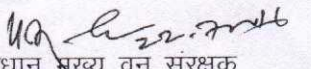
6. अपयोजन हेतु प्रस्तावित जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक अनुलग्नक - II के रूप में संलग्न है ।
7. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निर्गत वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - III के रूप में संलग्न है ।
8. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - IV के रूप में संलग्न है ।
9. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Item wise breakup प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - V के रूप में संलग्न है ।
10. वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक अनु0- VI के रूप में संलग्न है ।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्गत न्यूनतम वनभूमि उपयोग करने संबंधी प्रमाण पत्र, प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - VII के रूप में संलग्न है ।
12. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु आवश्यक राशि देने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - VIII के रूप में संलग्न है ।
13. एन0पी0भी0 जमा करने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - IX के रूप में संलग्न है ।
14. लागत लाभ विषलेषण प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - X के रूप में संलग्न है ।
15. Route feasibility plan प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XI के रूप में संलग्न है ।
16. राष्ट्रीय राजमार्ग Cross नहीं करने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XII के रूप में संलग्न है ।
17. वनभूमि में labour camp नहीं रखने संबंधी प्रयोक्ता अभिकरण का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XIII के रूप में संलग्न है ।
18. अपयोजित होने वाले वनभूमि का जी0पी0एस0 कोडिनेटस प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XIV के रूप में संलग्न है ।
19. अपयोजित होने वाले प्रस्तावित वनभूमि का टोपोसीट प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XV के रूप में संलग्न है ।
20. 5 villages Geo Reference Shape Map प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XVI के रूप में संलग्न है ।
21. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थल विषेय प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XVII के रूप में संलग्न है ।
22. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का मानचित्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XVIII के रूप में संलग्न है ।
23. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XIX के रूप में संलग्न है ।
24. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XX के रूप में संलग्न है ।
25. जिले से संबंधित मूलभूत सूचना (District Profile) प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXI के रूप में संलग्न है ।

26. प्रयोक्ता अभिकरण सर्वश्री झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा श्री आर० के० सैनी, प्रबन्धक, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को प्राधिकृत किए जाने संबंधित पत्र की प्रति प्रस्ताव के साथ अनुलग्नक - XXII के रूप में संलग्न है ।
27. विषयोक्त प्रस्ताव अन्तर्गत याचित वनभूमि सिंहभूम गज आरक्ष्य क्षेत्र में पड़ता है । उपरोक्त प्रस्ताव से प्रभावित होने वाले वन क्षेत्र विशेष कर हाथी, Sloth Bear, विभिन्न प्रकार के सरीसृप, पक्षियों आदि वन्य प्राणियों का पर्यावास तथा विचरण क्षेत्र है ।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के प्रसंगाधीन पत्र के साथ प्राप्त विषयोक्त प्रस्ताव की 6 (छः) प्रतियाँ सभी संबंधित अनुलग्नकों सहित अत्रसह संलग्न अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

अनुलग्नक:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर
24/2

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

RAMCHANDARPUR TO CHAIBASA 220 KV D/C
TRANSMISSION LINE 4.672 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.672 ha. Forest land.

Date :- 05.08.2016

Place :- Ranchi

Signature

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation
Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)